प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......330/2022...... दिनांक......26/8/2022

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें – 7, 7ए.......................
(2) अधिनियम – ...भा.द.सं. ....धारायें :–....120बी ....
(3) अधिनियम ....धारायें :–..............................
(4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......................................423.....समय.....3.30PM.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 25.08.2022............ गुरूवार ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 23.08.2022 समय–04.00 पी.एम.......

4. सूचना की किस्म :– कम्प्यूट्राईज टाईपसुदा

5. घटनास्थल:– दुकान स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से उत्तर दिशा, करीबन 200 किलोमीटर
(ब) पता :– कस्बा चौहटन जिला बाड़मेर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता
(अ) नाम :– श्री बाबूराम
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मानाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 49 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी.....................
(र) व्यवसाय :– अध्यापक
(ल) पता :– ग्राम मानपुरा, जिला बाडमेर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

(1) श्री केशरदान रतनू पुत्र श्री मलदान जाति चारण उम्र 60 वर्ष मूल निवासी गांव गुमाने का तला तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल निवासी मेघवालो का पुराना बास, चौहटन जिला बाडमेर हाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडमेर।
(2) श्री जीवनदान पुत्र श्री कृष्णदान जाति चारण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बींजासर तहसील धणाऊ पुलिस थाना धणाऊ जिला बाडमेर दुकान मालिक स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर।
(3) आसुसिंह पुत्र श्री अमोलख सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर हाल सेल्समैन, स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर पोकरण जिला जैसलमेर पैशा व्यापार फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 50,000 रू.

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर

विषय :– रिश्वत लेते हुवें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्।

मड़ोदय जी,

मैं प्रार्थी बाबूराम पुत्र श्री मानाराम, जाति जाट, उम्र 49 साल, पेशा अध्यापक निवासी मानपुरा, जिला बाडमेंर का निवासी होकर मेरा निवेदन है कि मेरे जी0यु0पी0एस0 (मानपुरा), ग्राम पंचायत नवापुरा पदस्थापन के दौरान मेरे ही रिश्तेदारों से जमीनी विवाद होने से उनके द्वारा मेरे विरूद्व शिकायते कि गयी, जिस पर मुझे दिनांक 20.07.2021 को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक बाडमेंर द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सिवाना कर दिया गया तत् पश्चात् मेरे विरूद्व विस्तृत् जॉच हेतू जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेंर द्वारा जॉच कमेटी का गठन किया जाकर जॉच करवाई गयी, उक्त जॉच कमेटी की रिपोर्ट मेरे पक्ष में रही, जिस पर श्री केशरदान रतनू जि0शि0अधिकारी (प्रारम्भिक) बाडमेंर के हस्ताक्षरित आदेश से मुझे दिनांक 09.05.2022 को निलम्बन से बहाल किया जाकर मेरा पदस्थापन रा0प्रा0वि0 मल्ले का वाडिया (मानपुरा) प0स0सेडवा किया गया तथा मुझे निलम्बन काल के दिये जाने वाले वेतन भत्ते एवं समस्त परिलाभों के अलग से आदेश दिये जाने का अंकन किया गया। जिस पर मुझे श्री केशरदान रतनू जि0शि0अधिकारी (प्रारम्भिक) बाडमेंर के हस्ताक्षरित एक कार्यालय आदेश दिनांक 29.07.2022 का प्राप्त हुआ जिसमें मुझे दिनांक 12.08.2022 को व्यक्तिगत सूनवाई बाबत् आदेशित किया गया। जिस पर मै उक्त दिनांक को श्री केशरदान रतनू के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होनें मुझे उक्त निलम्बन काल के वेतन भत्ते, 16 सीसीए की जॉच एवं समस्त परिलाभ देने के लिये मुझ से अपने व कार्यालय स्टाफ के 3 लाख रूपये मांगे जिस पर मैनें उन्हें 1 लाख रूपये रिश्वत के रूप में दे दियें मगर श्री केशरदान रतनू माने नहीं और 2 लाख रूपये कि और मांग कर रहे है मगर मैं उक्त राशी नहीं देकर श्री केशरदान रतनू को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही कोई लेन देन बकाया है।

प्रार्थी
–सही–
बाबूराम पुत्र श्री मानाराम,
उम्र 49 साल, जाति जाट, निवासी
मानपुरा,
जिला बाडमेंर
मो09950261792,8079088358

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक : 23.08.2022 को ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार परिवादी श्री बाबूराम से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने हेतु जरिये मोबाईल फोन कस्बा शिव में मिलने हेतु पाबंद कर मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस हमरा श्री गुमनाराम कानि0 नंबर 439, श्री शिवप्रताप कानि0 541, श्री शेराराम कानि0 चालक नंबर 302 के विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सहित जरिये सरकारी वाहन रवाना होकर कस्बा शिव पहुंचा। दिनांक : 23.08.202 को समय : 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री बाबूराम पुत्र श्री मानाराम, जाति जाट, उम्र 49 साल, पेशा अध्यापक निवासी मानपुरा, जिला बाडमेर ने मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरों जैसलमेर के समक्ष उपस्थित होकर एक कम्प्यूट्राईज टाईपसुदा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के इस आशय का पेश किया कि "मेरे जी0यु0पी0एस0 (मानपुरा), ग्राम पंचायत नवापुरा

पदस्थापन के दौरान मेरे ही रिश्तेदारों से जमीनी विवाद होने से उनके द्वारा मेरे विरूद्ध शिकायते कि गयी, जिस पर मुझे दिनांक 20.07.2021 को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक बाडमेंर द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सिवाना कर दिया गया तत् पश्चात् मेरे विरूद्ध विस्तृत् जॉच हेतू जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेंर द्वारा जॉच कमेटी का गठन किया जाकर जॉच करवाई गयी, उक्त जॉच कमेटी की रिपोर्ट मेरे पक्ष में रही, जिस पर श्री केशरदान रतनू जि0शि0अधिकारी (प्रारम्भिक) बाडमेंर के हस्ताक्षरित आदेश से मुझे दिनांक 09.05.2022 को निलम्बन से बहाल किया जाकर मेरा पदस्थापन रा0प्रा0वि0 मल्ले का वाडिया (मानपुरा) प0स0सेडवा किया गया तथा मुझे निलम्बन काल के दिये जाने वाले वेतन भत्ते एवं समस्त परिलाभों के अलग से आदेश दिये जाने का अंकन किया गया। जिस पर मुझे श्री केशरदान रतनू जि0शि0अधिकारी (प्रारम्भिक) बाडमेर के हस्ताक्षरित एक कार्यालय आदेश दिनांक 29.07.2022 का प्राप्त हुआ जिसमें मुझे दिनांक 12.08.2022 को व्यक्तिगत सूनवाई बाबत् आदेशित किया गया। जिस पर मै उक्त दिनांक को श्री केशरदान रतनू के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होनें मुझे उक्त निलम्बन काल के वेतन भत्ते, 16 सीसीए की जॉच एवं समस्त परिलाभ देने के लिये मुझ से अपने व कार्यालय स्टाफ के 3 लाख रूपये मांगे जिस पर मैनें उन्हें 1 लाख रूपये रिश्वत के रूप में दे दियें मगर श्री केशरदान रतनू माने नहीं और 2 लाख रूपये कि और मांग कर रहे है मगर मैं उक्त राशी नहीं देकर श्री केशरदान रतनू को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही कोई लेन देन बकाया है।" पुछताछ पर परिवादी श्री बाबूराम ने यह प्रार्थना पत्र बाजार से टाईप करवाकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। मेरी श्री केशरदान रतनू जि0शि0अधिकारी (प्रारम्भिक) बाडमेर से कोई पुरानी रंजिश व दुश्मनी नही है, ना ही मैंने इनसे कोई उधार लेन–देन कर रखा है। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा के श्री शिवप्रताप कानि0 नं0 541 एवं श्री गुमनाराम कानि0 नंबर 439 का परिवादी से परिचय करवाया गया तथा साथ लाया हुआ विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री बाबूराम को इस डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रकिया समझाई गई। रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु कानि0 शिवप्रताप व गुमनाराम को मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के परिवादी श्री बाबूराम के साथ कस्बा चौहटन के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री बाबूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के शेराराम कानि. चालक सहित जरिये सरकारी वाहन रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुंचा।

दिनांक : 24.08.2022 को समय : 09.15 ए.एम. पर कानि0 श्री शिवप्रताप ने जरिये मोबाईल फोन मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कस्बा चौहटन पहुंच मैंने आज दिनांक को परिवादी श्री बाबूराम को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु आरोपी श्री केशरदान रतनू के पास भेजा था। परिवादी बाबूराम ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री केशरदान रतनू जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा बाडमेर से मेरे निलंबन काल के समस्त परिलाभ दिलवाने एवं नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच में मदद करने के संबंध में वार्ता हो गई है और उन्होंने मेरे से 2,00,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा आज शाम या कल सुबह आने को कहा है, जिसकी रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात कानि0 शिवप्रताप ने अपने मोबाईल से ही परिवादी श्री बाबूराम वार्ता करवाई तो परिवादी ने उक्त कथन की ताईद की। जिस पर कानि0 श्री शिवप्रताप को हिदायत की गई कि आप डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे तथा परिवादी श्री बाबूराम को रिश्वत में दी जाने राशि 2,00,000 रू. की व्यवस्था कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने हेतु पाबंद करें। तत्पश्चात एक तहरीर विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम

मुख्यालय जैसलमेर के नाम से जारी कर दो स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया। जिस पर श्री कंवराज सिंह कानि0 444 दो स्वतंत्र गवाहान लेकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया, जिनका परिचय प्राप्त किया तो उन्होनें अपना नाम क्रमशः (1) श्री रेहान खां पुत्र श्री रते खां जाति मुसलमान उम्र 31 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम मंगलियावास पोस्ट सम पुलिस थाना सम तहसील सम जिला जैसलमेर हाल– कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत शाहगढ़, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9414170909 (2) श्री रामसिंह पुत्र श्री बलवीर राम जाति विश्नोई उम्र 39 वर्ष पेशा नौकरी, निवासी चक 7 पी.एस.डी. तहसील घड़साना पुलिस थाना रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9982249338 होना बताया। दिनांक : 24.08.2022 को समय : 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री रेहान खां व श्री रामसिंह को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 25.08.2022 को प्रातः 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया। साथ ही हाजिर ब्यूरों स्टाफ को भी उपरोक्त निर्धारित समय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंन्द किया गया। दिनांक : 24.08.2022 को समय : 06.54 पी.एम. पर कानि0 श्री शिवप्रताप नं0 541 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी बाबूराम के पास आरोपी केशरदान रतनू को फोन आया है और उसने कल दिनांक 25.08.2022 को प्रातः 9.00 एएम तक रिश्वती राशि लेकर बुलाया है, उक्त वार्ता को मैंने परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर कानि0 शिवप्रताप के मोबाईल से ही परिवादी श्री बाबूराम से वार्ता की गई तो उसने उक्त कथन ताईद करते हुए बताया कि मेरे पास 2,00,000 रू. में से मात्र 50,000 रू. की ही व्यवस्था हो पाई हैं तथा मुझे रूपये लेकर कल सुबह 9.00 बजे तक बुलाया है। जिस पर कानि0 श्री शिवप्रताप को हिदायत की गई कि आप डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे तथा परिवादी श्री बाबूराम को कल दिनांक 25.08.2022 को लगभग 07.00 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000/– रूपये साथ लाने व मन उप अधीक्षक पुलिस को, बाडमेर स्थित सिणधरी चौराहा पर मिलने हेतु पाबन्द कर रूखसत करें तथा आप व श्री गुमनाराम कानि0 मुझे दिनांक 25.08.2022 को वक्त 07.00 ए.एम.पर सिणधरी चौराहा, बाडमेर पर उपस्थित मिले। दर्ज रहे कि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कस्बा चौहटन जिला बाडमेर में की जानी है लिहाजा एक तहरीर संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन जैसलमेर के नाम जारी कर कल दिनांक 25.08.2022 को प्रातः 04.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में एक महिला कानि. भिजवाने हेतु पाबंद कराने बाबत कानि. श्री संग्राम सिंह नंबर 536 को भेजा गया, जिसने आकर बताया कि संचित निरीक्षक द्वारा एक महिला कानि. हेमलता नंबर 193 को कल दिनांक 25.08.2022 को प्रातः 4.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है। साथ ही हाजिर ब्यूरो स्टाफ एवं जरिये फोन दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी कल दिनांक 25.08.2022 को प्रातः 4.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने बाबत पाबंद किया गया। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन ब्यूरों कार्यालय जैसलमेर में लाने हेतु श्री शेराराम कानि चालक 302 को पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक : 25.08.2022 को समय : 04.05 ए.एम. पर पूर्व में पाबन्दशुदा ब्यूरो स्टाफ ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया। जिस पर मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि 53 को हिदायत की गई कि वह फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया बनाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ लेवें। पाबन्दशुदा कानिस्टेबल चालक श्री शेराराम 302 टेक्सी स्टेण्ड जैसलमेर से एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रेहान खां व श्री रामसिंह तथा हेमलता महिला कानि0 नंबर 193 ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आई। दिनांक : 25.08.2022 को समय : 04.35 ए.एम. पर कानि0 शिवप्रताप ने जरिये वाट्सअप कॉल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं, कानि. गुमनाराम व परिवादी श्री बाबूराम सिणधरी चौराहा, बाडमेर स्थित शुभम होटल के कमरा नंबर 212 में ठहरे हुए है। जिस पर मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता जेठाराम हैड कानि. 53, दीनाराम हैड कानि0 125, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि0गण, श्री कंवराजसिंह कानि 444, महिला कानि0

हेमलता नंबर 193, श्री शेराराम चालक नंबर 302, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रेहान खां व श्री रामसिंह के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के प्रकरण की पत्रावली, फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया, सोडियम कार्बोनेट की शीशी, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के रवाना होकर सिणधरी चौराहा बाडमेर स्थित शुभम होटल के कमरा नंबर 212 में पहुँचा। जहां पूर्व पाबन्दसुदा परिवादी श्री बाबूराम, कानि. गुमनाराम कानि0 439 तथा श्री शिवप्रताप कानि0 541 मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के उपस्थित मिले। जहां श्री शिवप्रताप कानि0 541 ने मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 23.08.2022 को रवानासुदा मैं, गुमनाराम व परिवादी श्री बाबूराम बाडमेर शहर पहुंचकर रात्रि विश्राम बाडमेर में किया था तथा दिनांक 24.08.2022 को प्रातः जल्दी रवाना होकर कस्बा चौहटन पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री बाबूराम को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु आरोपी श्री केशरदान रतनू के पास भेजा था। परिवादी बाबूराम ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री केशरदान रतनू जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा बाडमेर से मेरे निलंबन काल के समस्त परिलाभ दिलवाने एवं नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच में मदद करने के संबंध में वार्ता हो गई है और उन्होंने मेरे से 2,00,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा आज शाम या कल सुबह आने को कहा है, जिसकी रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। दिनांक 24.08.2022 को शाम को परिवादी बाबूराम के पास आरोपी केशरदान रतनू का पुनः कॉल आया जिसमें आरोपी ने परिवादी को आज दिनांक 25.08.2020 को प्रातः 9.00 बजे तक रिश्वती राशि लेकर बुलाया है, उक्त वार्ता भी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। जिस पर मन् कानिस्टेबल द्वारा श्रीमान् को हालात अर्ज किये गये थे। ताबाद परिवादी श्री बाबूराम से पूछने पर उसने भी कानि0 शिवप्रताप के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात कानिस्टेबल श्री शिवप्रताप ने पूर्व हिदायत अनुसार डिजीटल रिकार्डर मन् अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। मौके पर परिवादी श्री बाबूराम व दोनो गवाहान का आपस मे परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये तो परिवादी बाबूराम के कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दर्ज रहे कि परिवादी श्री बाबूराम ने आरोपी श्री केशरदान रतनू द्वारा पूर्व में तय की गई रिश्वती राशि 2,00,000 रू. में से 50,000 रू. की ही व्यवस्था होना बताया। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही 50,000 रू. की ही करने का निर्णय लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कहने पर परिवादी बाबूराम ने 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रू. निकाल कर पेश किये, इन नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही कानि. श्री गुमनाराम नं 439 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही जरिये विभागीय लेपटोप के तैयार की जाकर होटल के कमरा नंबर 212 में बिजली की सुविधा उपलब्ध होने से प्रिन्ट लिया गया। तत्पश्चात नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री गुमनाराम को मौके पर ही छोडा जाकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुंचने की हिदायत की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी बाबूराम, कानि. शिवप्रताप व समस्त ट्रेप दल के साथ लाये वाहनो से रवाना होकर कस्बा चौहटन के मुख्य बाजार मे पहुंचे। जहां पर परिवादी बाबूराम ने बताया कि आरोपी श्री केशरदान रतनू का फोन आ रहा हैं। जिस पर कानि0 शिवप्रताप को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर ऑन वार्ता रिकॉर्ड करने की हिदायत की जाकर परिवादी बाबूराम के फोन का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री केशरदान रतनू से वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी बाबूराम को चौहटन मुख्य बाजार में स्थित दुकान स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर पर बुलाया। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बाद में सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बाबूराम को मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के

आरोपी श्री केशरदान रतनू द्वारा बताई गई दुकान की तरफ रवाना किया गया तथा उसके आस पास ही शेष ब्यूरो दल अपनी—अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे।

दिनांक : 25.08.2022 को समय : 11.32 ए.एम. पर मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री बाबूराम ने मुख्य बाजार चौहटन में स्थित दुकान स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर से बाहर आकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने सिर पर हाथ फेर कर आरोपी श्री केशरदान रतनू द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो को तुरन्त एकत्रित कर परिवादी श्री बाबूराम के साथ मुख्य बाजार चौहटन में स्थित दुकान स्टूडेण्ड बुक एण्ड जनरल स्टोर पर पहुंचा। जहॉ दुकान में प्रवेश करने पर अन्दर गोदाम में दो व्यक्ति खड़े मिले। परिवादी श्री बाबूराम को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसको बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बाबूराम से इन दोनो व्यक्तियों के बारे में पूछने पर परिवादी ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री केशरदान रतनू है जिन्होंने अभी—अभी मेरे से पूर्व में तय रिश्वती राशि की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा विनती करने रिश्वती राशि 1,50,000 रू. लेने हेतु सहमत होने तथा मेरे द्वारा रिश्वती राशि 50,000 रू. की ही व्यवस्था होने का कहने पर उक्त रिश्वती राशि पास खड़े दूसरे व्यक्ति श्री जीवनदान को देने का कहा तथा शेष रिश्वती राशि 1,00,000 रू. की और मांग की। जिस पर मैंने उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. श्री जीवनदान को दे दी, जिस पर श्री जीवनदान ने उक्त रिश्वती राशि किताब के रद्दी पन्ने में लपेट कर अपने सेल्समैन श्री आसुसिंह राजपुरोहित को दे दी, जिसे लेकर आसुसिंह अभी अभी दुकान से बाहर निकला है। इसी दौरान मैंने दुकान के बाहर आकर आपको पूर्व निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात दुकान में उपस्थित दोनो व्यक्तियों को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना, ब्यूरो दल तथा मौतबिरान का परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उन्होंने अपना नाम कमशः (1) श्री केशरदान रतनू पुत्र श्री मलदान जाति चारण उम्र 60 वर्ष निवासी मेघवालो का पुराना बास, चौहटन जिला बाडमेर हाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडमेर मो0नं0 9602661931 एवं (2) श्री जीवनदान पुत्र श्री कृष्णदान जाति चारण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बींजासर तहसील धणाऊ पुलिसथाना धणाऊ जिला बाडमेर दुकान मालिक स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर मो0नं0 9799436340 होना बताया तथा तीसरे व्यक्ति सेल्समैन श्री आसुसिंह राजपुरोहित को तुरन्त दस्तयाब कर मौके पर लाकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम आसुसिंह पुत्र श्री अमोलख सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर हाल सेल्समैन, स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर होना बताया। तत्पश्चात श्री केशरदान रतनू को परिवादी श्री बाबूराम की तरफ ईशारा कर रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास कुछ समय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा बाडमेर का अतिरिक्त चार्ज रहा था तब मैंने श्री बाबूराम को उसकी विभागीय जांच में मदद कर उसके निलंबन काल के समस्त परिलाभ दिये जाने का आदेश पारित किया था, जिसके एवज में श्री बाबूराम ने मुझे अपनी मर्जी से 50,000 रू. आज दिये है जो मैंने श्री जीवनदान को देने के लिए कहा था। इस पर कुछ देर रूककर श्री केशरदान ने गलती हो गई साहब कह माफी मांगने लगे। तत्पश्चात श्री जीवनदान को उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. के बारे में पूछ्ने पर उसने बताया कि मैंने श्री केशरदान जी के कहने पर उनके सामने परिवादी श्री बाबूराम से राशि लेकर किताब के कुछ रद्दी पन्नो में लपेट कर श्री आसुसिंह राजपुरोहित को अपने पास रखने हेतु दिये थे। जिस पर श्री आसुसिंह राजपुरोहित को उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. के बारे में पूछने पर उसने बताया कि श्री जीवनदान ने मुझे रूपये किताब के रद्दी पन्नो में लपेट कर अपने पास रखने हेतु दिये थे जो कि मेरी पेन्ट की जेब में रखे हुए है, यह राशि किस बात की है इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। मैंने तो उक्त राशि दुकान मालिक श्री जीवनदान द्वारा देने पर उसी स्थिति में अपनी पेन्ट की जेब में रखी है जो कि अभी भी मेरे पास है। तत्पश्चात चौहटन

स्थित मुख्य बाजार में भीड़भाड़ होने एवं बैठने की व्यवस्था नही होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन में किया जाने का निर्णय लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमरा ट्रेप दल व आरोपीगण श्री केशरदान रतनू, श्री जीवनदान व श्री आसुसिंह राजपुरोहित को साथ लेकर साथ लाये गये वाहनों से रवाना होकर पुलिस थाना चौहटन पहुंचा। तत्पश्चात थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन श्री भूटाराम से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना परिसर चौहटन मे करने की सहमति लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। पूछताछ पर परिवादी बाबूराम ने बताया कि श्री केशरदान रतनू ने रिश्वती राशि को अपने हाथ में नही लिया तथा रिश्वती राशि श्री जीवनदान को देने का कहा था। जिस पर मैंने उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. श्री जीवनदान को दे दी, जो उसने किताब के रद्दी पन्नो में लपेट में अपने सेल्समैन श्री आसुसिंह राजपुरोहित को दे दिये थे। चूंकि आरोपी श्री केशरदान रतनू ने रिश्वती राशि को हाथ नही लगाया है लिहाजा श्री केशरदान रतनू के हाथो की अंगुलियों का धोवन लिये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रकरण में सह आरोपी श्री जीवनदान द्वारा उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. के नोटो को हाथ में लेने की संभावना होने आरोपी श्री जीवनदान के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पुलिस थाना चौहटन के कैम्पर से एक बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जीवनदान के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी झांईदार होना स्वीकार किया, इस हल्के गुलाबी झांईदार घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जीवनदान के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी झांईदार होना स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी झांईदार घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री आसुसिंह राजपुरोहित को रिश्वती राशि को पेश करने हेतु कहने पर उसने अपनी जेब से निकाल कर किताब के रद्दी पन्नो में लिपटी हुई रिश्वती राशि के नोटो का बण्डल पेश किया। उक्त बरामद शुदा नोट गवाह श्री रेहान खां के पास रहने दिये गये तथा उक्त किताब के रद्दे पन्ना जिसके मध्य में से रिश्वती राशि के नोट बरामद हुए है का धोवन लिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल में सफेद कपड़े के टुकड़े को भिगो–भिगो कर किताब के रद्दे पन्नो के आगे–पीछे रगड़कर 3–4 बार घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गहरे गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क आर.पी–1 व आर.पी–2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त किताब के रद्दी पन्नो एवं धोवन में काम में लिये गये सफेद कपड़े के टुकड़े को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की अलग–अलग थैलीयों में सिलाई कर, थैलीयों पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। मौके पर बरामदा रिश्वती राशि जो कि गवाह श्री रेहान् खां के पास पूर्व में रखवाये गये थे, उक्त राशि के नोटो को गवाह रेहान खां के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह श्री रामसिंह को पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी की एक प्रति देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान बोल–बोल कर करवाया

गया तो फर्द में अंकित 50,000 रू0 के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये जो निम्न प्रकार है:–

क.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/– रूपये का नोट नंबर	3DU 953707
2.	500/– रूपये का नोट नंबर	4PN 067316
3.	500/– रूपये का नोट नंबर	9UL 727149
4.	500/– रूपये का नोट नंबर	1ER 385973
5.	500/– रूपये का नोट नंबर	7KG 362948
6.	500/– रूपये का नोट नंबर	8EW 984142
7.	500/– रूपये का नोट नंबर	7BU 942279
8.	500/– रूपये का नोट नंबर	2DT 020638
9.	500/– रूपये का नोट नंबर	3GC 975184
10.	500/– रूपये का नोट नंबर	7UR 654493
11.	500/– रूपये का नोट नंबर	6QH 262501
12.	500/– रूपये का नोट नंबर	8CF 421477
13.	500/– रूपये का नोट नंबर	4MS 000747
14.	500/– रूपये का नोट नंबर	3CW 327302
15.	500/– रूपये का नोट नंबर	7HC 271524
16.	500/– रूपये का नोट नंबर	9FS 958754
17.	500/– रूपये का नोट नंबर	3GC 914045
18.	500/– रूपये का नोट नंबर	3BG 773918
19.	500/– रूपये का नोट नंबर	6FW 853002
20.	500/– रूपये का नोट नंबर	6PS 026830
21.	500/– रूपये का नोट नंबर	0KN 190912
22.	500/– रूपये का नोट नंबर	4DU 347023
23.	500/– रूपये का नोट नंबर	6TW 459811
24.	500/– रूपये का नोट नंबर	2EN 256809
25.	500/– रूपये का नोट नंबर	1PL 759663
26.	500/– रूपये का नोट नंबर	3GL 758098
27.	500/– रूपये का नोट नंबर	0MH 204080
28.	500/– रूपये का नोट नंबर	1HR 194857
29.	500/– रूपये का नोट नंबर	6FP 880735
30.	500/– रूपये का नोट नंबर	8ND 467077
31.	500/– रूपये का नोट नंबर	6UU 790213
32.	500/– रूपये का नोट नंबर	5DN 020560
33.	500/– रूपये का नोट नंबर	3MU 833489
34.	500/– रूपये का नोट नंबर	8VC 781586
35.	500/– रूपये का नोट नंबर	6PT 126662
36.	500/– रूपये का नोट नंबर	0EM 809789
37.	500/– रूपये का नोट नंबर	8GA 232049
38.	500/– रूपये का नोट नंबर	5SG 802549
39.	500/– रूपये का नोट नंबर	1AH 767649
40.	500/– रूपये का नोट नंबर	6AU 731298
41.	500/– रूपये का नोट नंबर	5BS 226597
42.	500/– रूपये का नोट नंबर	1ND 979408

43.	500/— रूपये का नोट नंबर	5TF 681127
44.	500/— रूपये का नोट नंबर	5DK 432264
45.	500/— रूपये का नोट नंबर	1TA 784241
46.	500/— रूपये का नोट नंबर	3SF 974523
47.	500/— रूपये का नोट नंबर	0VA 663432
48.	500/— रूपये का नोट नंबर	6HL 715491
49.	500/— रूपये का नोट नंबर	8 DS 966911
50.	500/— रूपये का नोट नंबर	8GG 262619
51.	500/— रूपये का नोट नंबर	3WC 425738
52.	500/— रूपये का नोट नंबर	7QB 671786
53.	500/— रूपये का नोट नंबर	4QD 747956
54.	500/— रूपये का नोट नंबर	5CH 319301
55.	500/— रूपये का नोट नंबर	8CV 265081
56.	500/— रूपये का नोट नंबर	3SH 553216
57.	500/— रूपये का नोट नंबर	3NN 041264
58.	500/— रूपये का नोट नंबर	8DF 842177
59.	500/— रूपये का नोट नंबर	1CU 290070
60.	500/— रूपये का नोट नंबर	4DS 670288
61.	500/— रूपये का नोट नंबर	8RU 380616
62.	500/— रूपये का नोट नंबर	8GA 246429
63.	500/— रूपये का नोट नंबर	2SD 388260
64.	500/— रूपये का नोट नंबर	7CR 143388
65.	500/— रूपये का नोट नंबर	2GS 061433
66.	500/— रूपये का नोट नंबर	2SG 776309
67.	500/— रूपये का नोट नंबर	0DV 063467
68.	500/— रूपये का नोट नंबर	9BW 526048
69.	500/— रूपये का नोट नंबर	9UU 529185
70.	500/— रूपये का नोट नंबर	7UU 552481
71.	500/— रूपये का नोट नंबर	8CQ 149611
72.	500/— रूपये का नोट नंबर	2GR 291028
73.	500/— रूपये का नोट नंबर	6AA 592659
74.	500/— रूपये का नोट नंबर	0WB 803768
75.	500/— रूपये का नोट नंबर	2ND 455493
76.	500/— रूपये का नोट नंबर	7VL 473544
77.	500/— रूपये का नोट नंबर	1HD 521913
78.	500/— रूपये का नोट नंबर	7DV 032567
79.	500/— रूपये का नोट नंबर	1KC 697395
80.	500/— रूपये का नोट नंबर	9HC 667843
81.	500/— रूपये का नोट नंबर	5HF 359863
82.	500/— रूपये का नोट नंबर	2HW 642445
83.	500/— रूपये का नोट नंबर	0HF 618208
84.	500/— रूपये का नोट नंबर	9EV 751552
85.	500/— रूपये का नोट नंबर	0RD 219581
86.	500/— रूपये का नोट नंबर	9LA 652536
87.	500/— रूपये का नोट नंबर	9NL 298920

88.	500/– रूपये का नोट नंबर	9SH 387361
89.	500/– रूपये का नोट नंबर	6AB 500216
90.	500/– रूपये का नोट नंबर	1QD 202964
91.	500/– रूपये का नोट नंबर	3UA 504995
92.	500/– रूपये का नोट नंबर	7EN 887955
93.	500/– रूपये का नोट नंबर	7FD 912903
94.	500/– रूपये का नोट नंबर	7EP 928094
95.	500/– रूपये का नोट नंबर	3GQ 735703
96.	500/– रूपये का नोट नंबर	9AU 386496
97.	500/– रूपये का नोट नंबर	1CB 082672
98.	500/– रूपये का नोट नंबर	0VW 990202
99.	500/– रूपये का नोट नंबर	9HM 909916
100.	500/– रूपये का नोट नंबर	1AF 009552

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 50,000 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बाबूराम के पैण्डिंग कार्य के संबंध मे पूछने पर श्री केशरदान रतनू के बताया कि मैंने श्री बाबूराम की विभागीय जांच में मदद कर निलंबन काल के बकाया समस्त परिलाभ दिये जाने का आदेश दिनांक 16.08.2022 को ही जारी कर दिया था जिसकी प्रति मैंने आज ही श्री बाबूराम को दी थी। जिस पर बाबूराम को पूछने पर उसने बताया कि उक्त आदेश की प्रति श्री केशरदान रतनू मेरे से रिश्वती राशि 50,000 रू. आज प्राप्त करने के बाद दी है तथा 1,00,000 रू. और रिश्वत की मांग की है। परिवादी के उक्त कथन के संबंध में पूछने पर श्री केशरदान रतनू ने कोई जवाब नही दिया। तत्पश्चात उक्त आदेश दिनांक 16.08.2022 की फोटो प्रति परिवादी श्री बाबूराम से प्राप्त कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री केशरदान रतनू मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडमेर के मेघवालो का पुराना बास, चौहटन स्थित रहवासी मकान पर पहुंच कर रूबरू मौतबिरान विधिवत खाना तलाशी ली जाकर फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मुख्य बाजार चौहटन स्थित दुकान स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर पर पहुंचकर रूबरू मौतबिरान विधिवत फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद पुलिस थाना चौहटन पहुंच **दिनांक : 25.08.2022 को समय : 06.00 पी.एम.** पर आरोपी श्री केशरदान रतनू पुत्र श्री मलदान जाति चारण उम्र 60 वर्ष निवासी मेघवालो का पुराना बास, चौहटन जिला बाडमेर हाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से अवगत करवाकर छू कर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके साडू श्री मगदान को दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। **समय : 06.20 पी.एम.** पर सह आरोपी श्री जीवनदान पुत्र श्री कृष्णदान जाति चारण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बींजासर तहसील धणाऊ पुलिसथाना धणाऊ जिला बाडमेर दुकान मालिक स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से अवगत करवाकर छू कर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके बहिनोई श्री मगदान को दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। **समय : 06.40 पी.एम.** पर सह आरोपी श्री आसुसिंह पुत्र श्री अमोलख सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर हाल सेल्समैन, स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से अवगत करवाकर

छू कर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके बहिनोई श्री मगदान को दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी बाबूराम व आरोपी केशरदान रतनू के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.08.2022 व 25.08.2022 रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्ताओं को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से तैयार करना शुरू कर, विस्तृत फर्द अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडियां तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो में से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया व दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी बाबूराम व आरोपी केशरदान रतनू के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्ता दिनांक 25.08.2022 रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्ताओ को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप अलग से तैयार करना शुरू कर, विस्तृत फर्द अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडियां तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो में से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया व दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। मौके की समस्त ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री बाबूराम को बाद राजकार्य के मौके पर ही रूखसत किया गया। रात्रि मे सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर के नाम एक तहरीर जारी कर गिरफतार शुदा तीनो आरोपीगण को जमा हवालात करवाया गया।

दिनांक 26.08.2022 को प्रातः 09.25 ए.एम. पर आरोपीगण श्री केशरदान रतनू, श्री जीवनदान व श्री आसुसिंह राजपुरोहित को पुलिस थाना चौहटन से प्राप्त कर जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन के मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस हमरायान ट्रेप दल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही जब्त शुदा समस्त मालखाना आईटम्स सहित रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बाडमेर पहुंचा तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं महिला कानि0 हेमलता को जाय तैनाती स्थान के लिए रूखसत किया गया। चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाडमेर से तीनो आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये धोवनो की छः सीलशुदा शीशियां, सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 50,000 रूपये, किताब के रद्दी पन्नो का सिल्डशुदा पैकेट, सफेद कपड़े के टुकडे का सिल्ड शुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी इत्यादि मालखाना आईटम श्री जेठाराम हैड कानि 53 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि आप सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुँचे तथा इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित मालखाना आईटम जमा मालखाना करें। तत्पश्चात मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस तीनो गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री केशरदान रतनू, श्री जीवनदान व श्री आसुसिंह राजपुरोहित को न्यायालय माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर में पेश करने हेतु मय तीनो आरोपीगण, कानि0 गुमनाराम नंबर 439, कानि0 शिवप्रताप नंबर 541 एवं कानि0. चालक शेराराम नंबर 302 जरिये सरकारी वाहन के रवाना हुआ तथा शेष ब्यूरो दल के सदस्यो को ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुंचने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण (1) श्री केशरदान रतनू पुत्र श्री मलदान जाति चारण उम्र 60 वर्ष मूल निवासी गांव गुमाने का तला तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल निवासी मेघवालो का पुराना बास, चौहटन जिला बाडमेर हाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडमेर (2) श्री जीवनदान पुत्र श्री कृष्णदान जाति चारण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बींजासर तहसील धणाऊ पुलिसथाना धणाऊ जिला बाडमेर दुकान मालिक स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर एवं (3) श्री आसुसिंह पुत्र श्री अमोलख सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर हाल सेल्समैन, स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री बाबूराम से उसके निलंबन काल के समस्त परिलाभ दिलवाने एवं नियम 16 सीसीए की विभागीय जांच में मदद करने के एवज रिश्वती राशि 2,00,000/– रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा विनती करने पर 1,50,000 रू. लेने हेतु सहमत होना, उसमें से 50,000/– रूपये रिश्वत राशि लेने, वक्त लेन देन आरोपी श्री केशरदान रतनू द्वारा शेष रिश्वती राशि 1,00,000 रू. अगले दिन देने की मांग करना इत्यादि कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. का कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

(अन्नराज)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. केशरदान रतनू पुत्र श्री मलदान रतनू, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर, 2. श्री जीवनदान पुत्र श्री कृष्णदान, मालिक स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर, चौहटन जिला बाड़मेर एवं 3. श्री आसुसिंह पुत्र श्री अमोलख सिंह, सैल्समैन, स्टूडेण्ट बुक एण्ड जनरल स्टोर चौहटन जिला बाड़मेर पैशा व्यापार फर्म माँ दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 330/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2885-90 दिनांक 26.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

26.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।